अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

वाद सं0–11/2022

दिलजान मलिक —बनाम्— मो0 कलीम अंसारी वगैरह

आदेश

10.3.22 थाना प्रमारी, जमुआ के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर हुकुमनामा से प्राप्त वादग्रस्त भूमि के लगान का भुगतान करते हुए दखलकार रहने का उल्लेख कर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूमि को जबरन दखल करने को प्रंयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर वर्षो से दखलकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात को गलत एवं बनावटी बताने के लिए 70 वर्ष पुराने कागजात में 55 वर्ष के व्यक्ति का नाम अंकित रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं सक्षम दीवानी न्यायालय के अधिकारिता वाले इस वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष, आवेदन एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से भूमि के वास्तविक दखल को लेकर उत्पन्न विवाद का निदान वस्तुतः सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में रहना पाकर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Sd/- 10/3/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 10/3/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:25:33 +05:30
Location: 192.168.1.3